दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 24 जनवरी, 2023

के मामले में:

+ रि.या.(सि.) 12787/2019 और सि.वि.आवे. 52252/2019

यशदीप चहल ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री चिराग मदान, श्री जी साई कृष्ण कुमार, सुश्री रवलीन सबरवाल, सुश्री स्मिर्धि शर्मा, श्री दीपेश बहादुर, अधिवक्तागण|

बनाम

भारत का संघ व अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री चेतन शर्मा, अति.महा.सा. के साथ श्री अजय दिगपॉल, कें.स. स्था.अधि., श्री अमित गुप्ता, श्री कमल दिगपॉल, श्री सहज गर्ग, सुश्री स्वाति क्वात्रा, भारत संघ के अधिवक्तागण|

श्री नितिन शर्मा, श्री सुमंत नारंग, श्री रंजीत सिंह सिंधु, सुश्री निशा भंबानी, श्री रजत

अरोड़ा, सुश्री मारिया शहाब, प्र-3 के अधिवक्तागण|

श्री अतुल बत्रा, श्री कुंदन मिश्रा, प्र-4 के अधिवक्तागण|

श्री शाहरुख एजाज, सुश्री हरनेक कौर, प्र-5 के अधिवक्तागण
श्री तेजस कारिया, श्री गौहर मिर्जा, सुश्री अमी राणा, श्री थेजेश राजेंद्रन, प्र-7 के अधिवक्तागण|

श्री सारांश जैन, सुश्री श्लोका नारायणनन, श्री अभिषेक कुमार, सुश्री स्नेहा डे, प्र-8 के अधिवक्तागण|

सुश्री रेबेका जॉन, वरिष्ठ अधिवक्तागण *(न्यायमित्र)* के साथ चिन्मय कनोजिया, सुश्री प्रराविता कश्यप, सुश्री आद्या आर लूथरा, सुश्री अनुष्का बरुआ, अधिवक्तागण|

कोरमः
माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति सुभ्रमोणयम प्रसाद

निर्णय

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद

1. तत्काल जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें नवंबर, 2019 में हैदराबाद में हुए सामूहिक बलात्कार की पीड़िता की पहचान का खुलासा किया गया है| यह कहा गया है कि इस घटना की जानकारी देते समय मीडिया हाउसों ने पीड़िता के नाम, उसकी तस्वीरों और अन्य व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया है| रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:-

> *"(i) इस रिट याचिका को अनुमति प्रदान की जाए;*
> *(ii) प्रत्यर्थीगण को मीडिया हाउसों और रिपोर्ट किए गए व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देना|*
> *(iii) ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहचान उजागर होने से रोकने के लिए प्रत्यर्थीगण को नए संयुक्त निर्देश जारी करना, चित्र प्रकाशित करने में आवश्यक धुंधलापन की सीमा तय करना और उनके उचित अनुपालन के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करना|*
> *(iv) मामले में मुकदमा शुरू होने से पहले ही अभियुक्त की तस्वीरों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश जारी करना|*
> *(v) जाँच अधिकारियों को निर्देश देना कि वे प्रतिबंधित रूप से कार्य करें ताकि जाँच पूरी होने से पहले मीडिया और आम जनता*

को मामले के गुणागुण के आधार पर सूचना की हो रही आपूर्ति को रोका जा सके|

(vi) उन अधिकारियों के खिलाफ तत्काल जाँच का आदेश दिया जाए जो अपनी उपस्थिति में और ध्यान में इन उल्लंघनों का संज्ञान लेने में विफल रहे हैं और जो मीडिया को जानकारी की आपूर्ति में शामिल हैं|

(vii) कोई अन्य आदेश पारित करें, जैसा उचित समझे|"

2. न्यायालयों को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के पीड़ित की पहचान उजागर करने के बारे में चिंता रही हैं और उनकी पहचान छिपाने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदेश पारित कर रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें किसी भी प्रकार के बहिष्कार का सामना न करना पड़े| 84वी विधि आयोग की रिपोर्ट, 1980 में भारतीय दंड संहिता के अधीन एक उपबंध लागू करने का विचार दिया गया था जिसके द्वारा कुछ अपराधों के शिकार व्यक्ति की पहचान प्रकट करना अपराध बनाया गया था| भारतीय दंड संहिता में संशोधन के लिए अगस्त, 1980 में विधेयक पेश किया गया था और दंड विधि संशोधन विधेयक 1983 में पेश किया गया था| उक्त संशोधन द्वारा भारतीय दंड संहिता में विभिन्न संशोधन किए गए हैं, जिसमें खंड 228का का अंतर्वेशन शामिल है, जो कई संशोधनों के बाद आज की तारीख में निम्नानुसार हैः

"228क. *कुछ अपराधों आदि के शिकार व्यक्ति की पहचान का खुलासा करना-*

(1) जो कोई भी धारा 376, धारा 376क, धारा 1 376 कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख, धारा 376ङ, के अधीन किसी आरोपित व्यक्ति या जिसका दोषसिद्ध हो जाए उसके नाम या ऐसी कोई सामग्री का मुद्रण या प्रकाशन करता है जिससे उसकी पहचान उजागर हो सकती है (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् पीड़ित कहा गया है) वह किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माना देय होगा|

(2) उप-धारा (1) की कोई भी बात किसी ऐसे मुद्रण या नाम के प्रकाशन या किसी ऐसी सामग्री तक विस्तारित नहीं है जो पीड़ित की पहचान का खुलासा करती है यदि ऐसा मुद्रण या प्रकाशन -

(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन या ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी, जो ऐसे अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करता है; या

(ख) पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से; या

(ग) जहाँ पीड़ित मृत या अवयस्क या विकृतचित्त का है, वहाँ पीड़ित के निकटतम परिजन द्वारा लिखित रूप में प्राधिकार से:

बशर्ते कि ऐसा प्राधिकार निकटतम परिजन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव, चाहे किसी भी नाम से हो, के अलावा किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा|

व्याख्या.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन" का अर्थ है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त सामाजिक कल्याणकारी संस्था या संगठन|

(3) जो कोई भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में किसी मामले को ऐसे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना छापेगा या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देय होगा|

व्याख्या.- किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय की छपाई या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं है|

3. भारतीय दंड संहिता की धारा 228-क किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान के खुलासे को अपराध बनाती है जिसके विरुद्ध धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा

376घख, धारा 376 और धारा 376ङ के अधीन अपराध किया गया है जो संज्ञेय, जमानतीय, गैर-शमनीय अपराध है कि ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना देने का भी भागी होगा|

4. भा.दं.सं. की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख और धारा 376ङ के तहत अपराध के शिकार व्यक्ति का नाम छिपाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए भा.दं.सं. की धारा 327 में भी संशोधन किए गए हैं| दं.प्र.सं. की धारा 327 इस प्रकार हैः

"धारा 327: न्यायालयों का खुला होना

1. वह स्थान, जिसमें कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन से बैठता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा, जिसमें जनता साधारणतः प्रवेश कर सकेगी जहाँ तक कि सुविधापूर्वक वे उसमें समा सके:

परन्तु यदि पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में आदेश दे सकता है कि जनसाधारण या कोई विशेष व्यक्ति उस कमरे में या भवन में, जो न्यायालय द्वारा उपयोग में

लाया जा रहा है, न तो प्रवेश करेगा, न होगा और न रहेगा|

2. उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन बलात्संग या अपराध की जांच या उसका विचारण बंद कमरे में किया जाएगा: परंतु पीठासीन न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझता है तो, या दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, किसी विशिष्ट व्यक्ति को, उस कमरे में या भवन में, जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, प्रवेश करने, होने या रहने की अनुज्ञा दे सकता है|

परन्तु यह और कि बंद कमरे में विचारण यथासाध्य किसी महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा|

3. जहाँ उपधारा (2) के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है वहां किसी व्यक्ति के लिए किसी ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी बात को न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना, मुद्रित या प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा|

परंतु बलात्संग के अपराध के संबंध में विचारण की कार्यवाहियों के मुद्रण या प्रकाशन पर पाबंदी, पक्षकारों के नाम और पते की गोपनीयता को बनाए रखने के अध्यधीन हटाई जा सकेगी|

5. हालाँकि सामान्य विधि यह है कि न्यायालय की कार्यवाहियां हमेशा खुले न्यायालय में संचालित की जाती हैं, परन्तु, पीड़ित की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख और धारा 376ङ के अधीन अपराधों की जांच या विचारण बंद कमरे में किया जाना है|

6. उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि यौन शोषण के पीड़ितों और यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों को संरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे दुर्भाग्यपूर्ण उपहास, सामाजिक बहिष्कार और उत्पीड़न का शिकार न हों| उच्चतम न्यायालय ने <u>निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ</u>, **(2019) 2 एससीसी** 703 में, भा.दं.सं. की धारा 228क और दं.प्र.सं. की धारा 327 पर विचार करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणी की:

> ***"11.*** *न तो भारतीय दंड संहिता और न ही दंड प्रक्रिया संहिता "किसी व्यक्ति की पहचान" को परिभाषित करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 228-क स्पष्ट रूप से "नाम या अन्य कोई तथ्य जिससे व्यक्ति की पहचान उजागर हो" के संस्करण या*

प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाती है। यह स्पष्ट है कि न केवल पीड़िता के नाम का प्रकाशन निषिद्ध है बल्कि किसी अन्य तथ्य का प्रकटन भी निषिद्ध है जो ऐसे पीड़िता की पहचान प्रकट कर सकता है। हमारा स्पष्ट मत है कि "तथ्य जिससे व्यक्ति की पहचान प्रकट हो सकती है" वाक्यांश का केवल यह अर्थ नहीं है कि केवल पीड़िता का नाम प्रकट नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसका यह भी अर्थ है कि पीड़िता की पहचान मीडिया में प्रकाशित किसी भी तथ्य से प्रकट नहीं की जानी चाहिए। विधि निर्माताओं का इरादा था कि ऐसे अपराधों की पीड़िता की पहचान नहीं की जानी चाहिए ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी शत्रुतापूर्ण भेदभाव या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

12. *बलात्कार से पीड़ित महिला को समाज में शत्रुतापूर्ण भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। ऐसी पीड़िता को नौकरी पाने में कठिनाई होगी, विवाह करने में कठिनाई होगी और एक सामान्य इंसान की तरह समाज में एकीकृत होने में भी कठिनाई होगी। हमारा आपराधिक न्यायशास्त्र पर्याप्त साक्षी संरक्षण कार्यक्रम का उपबंध नहीं करता है और इसलिए पीड़िता की रक्षा करने और उसकी पहचान छिपाने की अधिक आवश्यकता है। इस संबंध में, हम कुछ तरीकों और साधनों का उल्लेख कर सकते हैं जहां पीड़िता का नाम लिए बिना पहचान प्रकट की गई है। एक मामले में, जो हाल ही में सुर्खियों में था, हालांकि पीड़िता का नाम नहीं दिया गया था, यह कहा गया था कि उसने राज्य बोर्ड की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और राज्य का नाम दिया गया था।*

उसकी पहचान का पता लगाने और स्थापित करने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अन्य उदाहरण में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फुटेज दिखाया गया है, जहां पीड़िता का चेहरा धुंधला है, लेकिन उसके रिश्तेदारों, उसके पड़ोसियों, गांव का नाम आदि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह भी पीड़िता की पहचान उजागर करने के समान है। अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति पीड़िता का नाम मुद्रित या प्रकाशित नहीं कर सकता है या ऐसे किसी तथ्य को उजागर नहीं कर सकता है जिससे पीड़िता की पहचान हो सकती है और जिससे उसकी पहचान जनता को व्यापक रूप से ज्ञात हो जाए।

* * * * *

***16.** हमें तंग करने वाला कष्टदायक मुद्दा पीड़िता के निकटतम परिजन से संबंधित है जो मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थाओं या संगठनों के अध्यक्ष या सचिव को नाम घोषित करने का प्राधिकार दे रहा है। अभी तक हमारे समक्ष रखी गई सामग्री के अनुसार न तो केंद्रीय सरकार और न ही किसी राज्य सरकार ने ऐसी किसी सामाजिक कल्याण संस्था या संगठन को मान्यता दी है, जिसे निकटतम परिजन द्वारा अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।*

7. सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पीड़िताओं द्वारा जिस प्राधिकारी को पहचान प्रकट की जानी है जब पीड़िता के शरीर से नमूने लिए जाते है यानी जब चिकित्सीय जांच की जाती है, जब डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, जब पीड़िता की जन्म तिथि को स्कूल से अभिलेख प्राप्त करके

स्थापित किया जाता है, आदि, से प्रेषित किया जाता है, वे भी यह कर्तव्यबद्ध है कि वह पीड़िता का नाम और पहचान गोपनीय रखे और उसे किसी भी रूप में प्रकट न करे, सिवाय उस आख्या के जो केवल जांच अभिकरण या न्यायालय को सीलबंद लिफाफे में भेजी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़िता के निकटतम परिजन के सम्बन्ध में इस मुद्दे पर विचार करते हुए यह प्रावधान किया कि किसी मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को पीड़िता के निकटतम संबंधी द्वारा ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। चूंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए शीर्ष न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी अधिकारिता का उपयोग करते हुए निर्देश दिया कि यदि सरकार वास्तव में भारतीय दंड संहिता की धारा 228-क(2) (ग) के तहत कार्य करना चाहती है, तो उसे ऐसी सामाजिक कल्याण संस्था या संगठन की पहचान करने से पहले इस संबंध में कुछ नियम या स्पष्ट मानदंड निर्धारित करने चाहिए जैसे कि संगठन की प्रकृति क्या होनी चाहिए, आवेदन कैसे किया जाना चाहिए और उस आवेदन पर किस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 228-क(3) पर चर्चा करते हुए, शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति धारा 228-क की परिधि के भीतर और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

327(2) की शर्तों के अधीन किसी भी कार्यवाही से संबंधित किसी भी तथ्य का संस्करण या प्रकाशन नहीं कर सकता है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ये कार्यवाहियां बंद कमरे में की जाती हैं और पीठासीन अधिकारी, न्यायालय कर्मचारी, अभियुक्त, उसके अधिवक्ता, लोक अभियोजक, पीड़िता, यदि वह उपस्थित होना चाहती है, या साक्षी के आलावा कोई अन्य उपस्थित नहीं होना चाहिए और ऐसे मामलों का कोई प्रतिवेदन नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रेस यह रिपोर्ट कर सकता है कि मामला न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और कुछ गवाहों का परीक्षण किया गया था, वह यह भी रिपोर्ट कर सकता है कि मामला किस उद्देश्य के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन यह रिपोर्ट नहीं कर सकता कि न्यायालय के भीतर क्या हुआ या पीड़िता या गवाहों का बयान क्या था। शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि साक्ष्य को उजागर नहीं किया जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने इसके बाद निम्नलिखित निर्देश अधिकथित किए:

> *"**50**. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं*
>
> ***50.1.** कोई भी व्यक्ति पीड़िता का नाम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया आदि में मुद्रित या प्रकाशित नहीं कर सकता है या परोक्ष प्रकार से किसी भी तथ्य का खुलासा नहीं कर सकता*

है जिससे पीड़िता की पहचान हो सकती है और जिससे व्यापक रूप से उसकी पहचान जनता को ज्ञात हो।

50.2. *ऐसे मामलों में, जहां पीड़िता की मृत्यु हो गई है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पीड़िता का नाम या उसकी पहचान निकटतम परिजन के अधिकार के अधीन भी प्रकट नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि उसकी पहचान प्रकट करने को न्यायोचित ठहराने वाली परिस्थितियां विद्यमान न हों, जिसका निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा, जो इस समय सत्र न्यायाधीश है।*

50.3. *भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376-क, 376-कख, 376-ख, 376-ग, 376-घ, 376-घक, 376-घख या 376-ङ के तहत अपराधों और पॉक्सो के तहत अपराधों से संबंधित प्राथमिकियों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।*

50.4*. यदि कोई पीड़िता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के अंतर्गत अपील दायर करती है, तो पीड़ित/ता के लिए उसकी पहचान का खुलासा करना आवश्यक नहीं है और अपील पर विधि द्वारा अधिकथित विधि से कार्रवाई की जाएगी।*

50.5 *पुलिस अधिकारियों को जहां तक संभव हो सके, सभी दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में रखना चाहिए और इन दस्तावेजों को समान दस्तावेजों से बदलना चाहिए, जिनमें पीड़िता*

का नाम सभी अभिलेखों में हटाया गया है, जिसकी सार्वजनिक संवीक्षा की जा सकती है।

50.6. *सभी अधिकारियों जिनको जांच अभिकरण या न्यायालय द्वारा पीड़िता का नाम प्रकट किया गया है उनका भी यह कर्तव्य है कि वे पीड़िता का नाम और पहचान गोपनीय रखें और आख्या के अलावा किसी भी तरह से इसका खुलासा न करें, जिसे केवल एक सीलबंद लिफाफे में जांच अभिकरण या न्यायालय को भेजा जाना चाहिए।*

50.7. *भारतीय दंड संहिता की धारा 228-क(2)(ग) के तहत किसी मृत पीड़िता या मानसिक रूप से विक्षिप्त पीड़िता की पहचान उजागर करने हेतु अधिकृत करने के लिए संबंधित निकटतम परिजन द्वारा आवेदन केवल तब तक सत्र न्यायाधीश को किया जाना चाहिए जब तक कि सरकार धारा 228-क(1)(सी) के तहत कार्रवाई नहीं करती है और ऐसे सामाजिक कल्याण संस्थानों या संगठनों की पहचान करने के लिए हमारे निर्देशों के अनुसार मानदंड निर्धारित नहीं करती है।*

50.8. *पॉक्सो के तहत नाबालिग पीड़िताओं के मामले में, उनकी पहचान का खुलासा केवल विशेष न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, अगर ऐसा खुलासा बच्ची के हित में है।*

> ***50.9.*** *सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आज से एक वर्ष के भीतर प्रत्येक जिले में कम से कम एक "वन स्टॉप सेंटर" स्थापित करने का अनुरोध किया जाता है।"*

8. यह पता चलता है कि भले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपुण सक्सेना (पूर्वोक्त) में निर्णय दिनांक 11.12.2018 को दिया गया था, लेकिन अनुच्छेद 50.7 व 50.9 में निहित निर्देशों का अभी तक पालन नहीं किया गया है। इसलिए हम रा.रा.क्षे.दि.स. को भारतीय दंड संहिता की धारा 228-क(3) के तहत कार्रवाई करने और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित मानदंड निर्धारित करने का निर्देश दे रहे हैं। राज्य को भी निवेदिता झा बनाम बिहार राज्य, **2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 1616** में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में प्रत्येक जिले में वन-स्टॉप केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। वास्तव में, राज्य सरकारें शीर्ष न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2018 को पारित किए गए निर्णय की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे केंद्रों की स्थापना करने में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने से पहले से ही अवमानना की स्थिति में हैं।

9. इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, सुश्री रेबेका जॉन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्हें इस मामले में न्याय-मित्र के रूप में नियुक्त किया गया है, ने सूचित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 228-क के अंतर्गत

पीड़ितों को मुआवजा देने और आपराधिक कार्रवाई से मिलता जुलता एक मामला तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक रिट याचिका संख्या 182/2019 आदि में याचिकाओं के एक बैच के रूप में लंबित है। चूंकि ऐसा ही एक मामला तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, यह न्यायालय मीडिया हाउसों और रिपोर्ट किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही या जांच अधिकारीयों को अपराध का संज्ञान लेने का निर्देश देना उचित नहीं मानता है।

10. हम सुश्री रेबेका जॉन की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने इस विषय पर विधि के विकास, अन्य देशों में विधि की स्थिति का संकलन करने में काफी समय बिताया है और बहुत से बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और इस न्यायालय की सहायता की है।

11. इन टिप्पणियों के साथ, लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, के साथ रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

सतीश चंद्र शर्मा, मुख्य न्या.

सुभ्रमोणियम प्रसाद, न्या.

24 जनवरी, 2023
राहुल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*